

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग

देहरादून, दिनांक: 4 दिसम्बर, 2023

विषय : कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा तैयार की गयी "मेरी योजना" नामक पुस्तक को मा0 उच्च न्यायालय, समस्त जनपदीय न्यायालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की वेबसाइट/पोर्टल में अपलोड करने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य में, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/प्रशिक्षणपरक, निवेशपरक योजनाओं/कार्यक्रमों/अधिनियमों को संकलित कर, "मेरी योजना" नामक पुस्तक के रूप में तैयार किया गया है। इस पुस्तक में कुल 55 विभागों/संस्थाओं/संगठनों/ बोर्ड/ प्राधिकरण/एजेंसी/आयोग/संस्थान/निगम/परिषद सहित, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की लगभग 400 योजनाओं/नीतियों/कार्यक्रमों/मूलभूत सेवाओं/प्रमाणपत्रों/पोर्टल का उल्लेख किया गया है एवं राज्य में प्रथम बार इस प्रकार की पुस्तक तैयार की गयी है।

2. "मेरी योजना" पुस्तक का मूल उद्देश्य-योजनाओं का लाभ, लाभार्थी कैसे प्राप्त कर सकता है, की पूरी प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख सरल भाषा में किया गया है, संबंधित पुस्तक के प्रारूप को मुख्यतः 4 भागों में अंकित किया गया है-(योजना का नाम क्या है, योजना का लाभ क्या है, योजना का लाभ कौन व्यक्ति ले सकते हैं/योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कौन व्यक्ति पात्र हैं एवं योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कहाँ/कैसे करना होगा, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी एवं आवेदन करने के उपरांत कैसे चयन किया जाता है तथा कैसे लाभ, लाभार्थी को मिलता है), ताकि राज्य के वंचित पात्र लाभार्थियों को समस्त योजनाओं का संकलन एवं लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी एक ही पुस्तक से प्राप्त हो सके।

3. "मेरी योजना" पुस्तक का डिजिटल विमोचन मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 04.12.2023 को <https://uk.gov.in/> (लिंक- https://uk.gov.in/assets/pdf/MERI%20_YOJANA_book_04-12-23.pdf), किया गया है। उक्त पुस्तक राज्य के सभी विभागों की वेबसाइट/पोर्टल के प्रथम पृष्ठ पर अपलोड किये जाने के निर्देश मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये हैं ताकि राज्य का प्रत्येक नागरिक उक्त पुस्तक, किसी भी विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सके।

अतः उक्त संबंध में मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया "मेरी योजना" पुस्तक के पीडीएफ फॉर्मेट को, जिसका लिंक उक्त है, से डाउनलोड कर, मा0 उच्च न्यायालय, समस्त जनपदीय न्यायालय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की वेबसाइट/पोर्टल के प्रथम पृष्ठ पर "मेरी योजना पुस्तक" लिखकर, अपलोड करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन :- / 51 / XXVI-A-1 / 2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव-मा0 मुख्यमंत्रीजी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्रीजी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

2. स्टॉफ ऑफिसर—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. विशेष कार्याधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आपके सहयोग से तैयार उक्त पुस्तक के पीडीएफ को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वैबसाइट में अपलोड करने के साथ ही समस्त जनपदों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की वैबसाइट में भी अपलोड करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एन0एस0डुंगरियाल)
संयुक्त सचिव।